न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 03/2018 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2018/ 00003)

रामनिवास पुत्र श्री काशीराम जाति ब्राहम्ण निवासी–धानसीया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. कुरडाराम पुत्र श्री टीकमदास जाति स्वामी निवासी –धानसीया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. श्योकरण पुत्र श्री टीकमदास जाति स्वामी निवासी –धानसीया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री राजेन्द्र सिह शिमला – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री हरीश मदान – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1 एव 2
3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 07.06.2022**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नोहर के निर्णय दिनांक 25.10.2016 के विरूद्व पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर वाके रोही मौजा धानसिया के हाल खसरा नम्बर 126, 209, 998 की सम्पूर्ण भूमि अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 के नाम से कलमजन कर राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी दुरूस्त कर मन्दिर श्री ठाकुरजी के नाम से दर्ज करने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोहर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25.10.2016 द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत 136 एल आर एक्ट प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस कर कथन किया कि वाके रोही मोजा धानसिया के सा. खं. नं. 47 तादादी 94 बीधा 6 बिस्वा व खं. नं. 332 तादादी 9 बीधा 16 बिस्वा कुल 104 बीधा 5 बिस्वा भूमि मंदिर श्री ठाकुरजी के नाम से थी जिसके हाल खं. नं. 126 व 209 व 998 बनाये गये है। उक्त कृषि भूमि को गलत रूप से रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज कर दी गयी। जो भूमि मंदिर के नाम है व पूजारी के नाम नही की जा सकती है, पुजारी काश्त कर सकता है। जबकि रेस्पोडेन्ट ने कभी पूजा भी नही है। जिसको दुरूस्त करवाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिसको गलत आधारो पर निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी संक्षम अधिकारी के बिना किसी न्यायालय के आदेश के गलत व आर्बीट्रेरी रूप से मूति श्री ठाकुरजी का नाम हटा दिया गया जिसको सही करने का दायित्व राजस्व आमला का है। अधीनस्थ न्यायालय ने भूप्रबन्ध विभाग व भूसर्वे के अंकित की गयी प्रविष्टि व नोट का हवाला अपने निर्णय में दिया है। जबकि भूप्रबन्ध व भूसर्वे के दौरान पूर्व की जमाबंदी के अनुसार ही प्रविष्टि करने का अधिकार भूप्रबन्ध विभाग को है। किसी के नाम के अकन को हटाने का अथवा किसी के नाम का अंकन करने का अथवा रिकार्ड में किसी प्रकार का संशोधन करने का कोई अधिकार नही है। वादगत कृषि भूमि पर धारा–15 के तहत खातेदारी हक हकूक प्राप्त करने के अधिकारी रेस्पोडेन्ट न थे व न ही है। वादगत भूमि रणछोड़दास की कब्जा काश्त की भूमि अथवा खुद काश्त की भूमि न होकर मंदिर मूर्ति की भूमि थी। रणछोड़दास द्वारा अपने जीवनकाल में कभी भी ठाकुरजी की सेवा पूजा नही की वह पूजारी भी नही रहा एव न ही रेस्पोडेन्ट पूजारी है। अपीलान्ट मंदिर का पुजारी है, मंदिर की सेवा पूजा करता है, एवं मंदिर मूर्ति श्री ठाकुर जी का पूजारी होने के कारण वाद मित्र की हैसियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25.10.2016 को निरस्त किया जावे, तथा उक्त भूमि मंदिर मूर्ति के नाम से की जावें। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में RAJ. LAND REFORMS & RESUMPTION

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

OF JAGIR ACT 1952, RRD 1985 NOC 56, RRD 1995 पेज 191, RRD 1993 पेज 304, RRD 2000 पेज 14, (HIGH COURT) RBJ 2000 पेज 251, RBJ 2001 पेज 62, RRD 1983 पेज 364, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट सं. 1 एवं 2 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि उक्त भूमि पर सम्वत 2001 से रेस्पोडेन्ट के दादा रणछोड़दास का कब्जा काश्त है। प्रश्नगत भूमि पर कभी भी मंदिर नही बना हुआ था, यहा पर मंदिर स्थापित हो ऐसा कोई दस्तावेज नही है। संक्षम आदेश के द्वारा इस भूमि को मंदिर की भूमि से मुक्त किया हुआ है। संक्षम आदेश के द्वारा दिनांक 05.04.1946 को राजस्व रिकार्ड में अंकन का आदेश पारित हुआ है जिसे अपीलान्ट धारा 136 के प्रार्थना से दुरूस्त नही करवा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट्स को बन्दोबस्त विभाग द्वारा मन्दिर श्री ठाकुर जी की खातेदारी भूमि पर खातेदारी अधिकार दिए गए है। जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि बन्दोबस्त विभाग को खातेदारी अधिकार देने के अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रकरण में राजस्व अभिलेख की सम्पूर्ण जांच के पश्चात अपील/रेफरेन्स के संदर्भ में प्रशासनिक निर्णय लिए जाने के साथ–साथ अपीलाधीन प्रकरण में राजस्व अभिलेख में दर्ज की गई प्रविष्टि की वैधता/सत्यता की जांच की जानी अपेक्षित है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.10.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी नोहर को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि प्रकरण में राजस्व अभिलेख की जांच कर उभय पक्ष को सुनकर, पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 07.06.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर